बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

<u>दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम</u>

औषधि निरीक्षक लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा (वि०सं० 09/2022) का परीक्षाफल दिनांक 23.01.2024 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुल 148 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये। आयोग द्वारा सभी सफल उम्मीदवारों को उनके दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः–

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
सोमवार 12.02.2024	900041, 900058, 900101, 900130, 900131, 900145, 900160, 900164, 900186, 900188, 900254, 900261, 900266, 900268, 900269, 900282, 900288, 900306, 900311, 900323, 900349, 900357, 900376, 900394, 900482, 900551, 900633, 900637, 900690, 900707, 900711, 900729, 900774, 900810, 900826, 900835, 900837, 900841, 900851, 900859	900866, 900888, 900907, 900947, 900960, 900990, 901011, 901016, 901020, 901023, 901024, 901031, 901074, 901091, 901191, 901193, 901393, 901436, 901442, 901449, 901501, 901502, 901547, 901573, 901580, 901591, 901604, 901611, 901623, 901738, 901745, 901804, 901830, 901846, 901852, 901878, 901899, 901913, 901924, 901985
मंगलवार 13.02.2024	902001, 902041, 902066, 902075, 902100, 902101, 902106, 902110, 902130, 902153, 902190, 902249, 902272, 902278, 902309, 902387, 902517, 902522, 902547, 902565, 902593, 902600, 902608, 902634, 902661, 902678, 902714, 902726, 902737, 902753, 902777, 902798, 902835, 902837, 902857, 902897, 902939, 902945, 902973, 902990	903004, 903017, 903026, 903036, 903052, 903054, 903067, 903077, 903079, 903164, 903171, 903176, 903188, 903207, 903218, 903266, 903286, 903287, 903309, 903322, 903329, 903335, 903341, 903460, 903492, 903516, 903518, 903544

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार उक्त लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के ई–प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।
3. आयोग के वेबसाईट **<u>www.bpsc.bih.nic.in</u>** पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र–I में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
4. **सभी उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दिन विज्ञापन की कंडिका– 11 (i) के आलोक में अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उम्मीदवारों को विज्ञापन में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की सुस्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग–अलग) में भी लाना अनिवार्य होगा :–**

(i) लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति (अनुलग्नक सहित)।

(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/अंक पत्र। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।

(iii) स्नातक का अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(iv) स्नातक का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(v) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री, नियमावली 1945 की भाग–vii एवं viii के प्रावधानान्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित जाँच प्रयोगशाला/औषधि निर्माण प्रतिष्ठान के द्वारा प्रदत्तर अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं उक्त संस्थान के सक्षम प्राधिकार स्वत्वाधिकारी/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र।
नोट :– अनुभव प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से यह अंकित होना चाहिए कि अनुभव अनुसूची "ग" (Schedule C) में विनिर्दिष्ट पदार्थ से संबंधित हो।

(vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।

(vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) (दावा करने की स्थिति में)।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।

(ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।

(x) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/ छूट का दावा करने की स्थिति में)।

(xi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आधार निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र (दावा करने की स्थिति में)।

(xii) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
नोटः– अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(xiii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र (मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।

(xiv) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xv) आयु सीमा में छुट का दावा करने वाले बिहार सरकार के सरकारी सेवक को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

(xvi) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)

(xvii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xviii) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ (Recent Photograph)

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने उक्त परीक्षा हेतु अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16.12.2022 तक का निर्गत होना आवश्यक है।

5. उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।
6. यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता एवं अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी।
7. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
(iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका 4 (xi), (xii), (xiii) एवं (xiv) में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
8. **दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर आवेदन में अंकित तथ्यों एवं उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की विधिवत् विभागीय जाँच के पश्चात् यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**
9. उम्मीदवार अपने दस्तावेज सत्यापन के दिन एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वच्छ एवं पठनीय स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
10. सम्बन्धित उम्मीदवार, कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
11. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई–फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर Wrist Watch (सामान्य/Smart) इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
12. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

31/1/24

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना